

ARBIT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

epaper.rashtradoot.com




**Raghu Sinha: He Made Bearings And Never Lost His**

Nobody knew his designation, but the Jaipurites knew him as the "whole and sole" of the NBC.

**Celebrating Rajasthan's Literary Traditions**

The first ever Rajasthan Literature Festival is all set to take place at the Zenana Mahal



जैपनीज स्पैरोहॉक हालांकि उसी वर्ग के हैं जिसमें ईगल होते हैं, लेकिन कई ऐसी खास बातें हैं जो इन्हें एकदम अनोखा बनाती हैं। पंखों के नीचे भूरी पट्टी इनकी प्रमुख पहचान है। इसके अलावा जब ये उड़ते हैं तो इनकी पूंछ के पर पंखे की तरह फैल जाते हैं, जो इनकी विशिष्ट पहचान है। तैरने से तीस इंच लंबे स्पैरोहॉक के पंखों का फैलाव 48-56 सेंटीमीटर होता है तथा नर और मादा की पहचान करना अन्य पक्षी प्रजातियों की तुलना में आसान होता है। जैपनीज स्पैरोहॉक नर का ऊपरी भाग आमतौर पर स्लेट ग्रे या ब्लू-ब्लैक होता है और आँखें सुर्ख लाल रंग की। वहीं, मादा में भूरा रंग अधिक नजर आता है तथा इनकी आँखें शहद जैसी पीली होती हैं। जैपनीज स्पैरोहॉक काफी आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन, ये इंसान या मध्यम आकार के स्तनपायी के आसपास भी नहीं फटकते पर, अगर कोई अन्य पक्षी इनके घोंसले के 10-50 मीटर के दायरे में आ जाए तो ये उसे खदेड़ देते हैं। चूंकि इन्हें घने जंगलों में उड़ना होता है इसलिए इन्होंने काफी छोटे गोलाकार पंख विकसित कर लिए हैं। इसी कारण इनकी पूंछ के पंख लंबे होते हैं। इससे इन्हें ना केवल उड़ने में आसानी होती है बल्कि ये बेहद प्रभावशाली शिकारी भी साबित होते हैं और हवा हो या जमीन, आसानी से शिकार को दबोच लेते हैं। आमतौर पर ये छोटी साँग बर्ड्स का शिकार करते हैं पर प्रजनन काल में कबूतर व तोते जैसे, थोड़े बड़े पक्षियों का शिकार भी कर लेते हैं। चूहे, छिपकली, चमगादड़ व कीड़े भी इनका प्रिय भोजन हैं। हालांकि ये कभी-कभी आसमान में भी शिकार करते हैं पर आमतौर पर पेड़ की ऊँची शाखा पर बैठकर शिकार के बाहर निकलकर उड़ने की प्रतीक्षा करते हैं, जैसे ही शिकार उड़ान भरता है उसे दबोच लेते हैं। इनका नाम भले ही जैपनीज स्पैरोहॉक है पर ये जापान के अलावा रूस, चीन, कोरिया, मंगोलिया में भी मिलते हैं और कुछ तो दक्षिण साइबेरिया में भी प्रजनन करते पाए गए हैं।

## सूरत के कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा सुनायी राहुल को, दो मानहानि के मुकदमों में

राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "सत्य मेरा भगवान है तथा अहिंसा उस तक पहुंचने का रास्ता"

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। मानहानि के केस में दी गई एक अनोखी सजा के अन्तर्गत, आज गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2019 के एक क्रिमिनल मानहानि केस में दो वर्ष कैद की सजा सुनाई। यह केस उनके द्वारा "मोदी सरनेम" को लेकर दी गई टिप्पणी को लेकर दायर किया गया था।

राहुल गांधी, जो फैसला सुनाये जाने समय अदालत में मौजूद थे, ने सजा सुनाये जाने के तुरन्त बाद ट्वीट किया कि "मेरा धर्म सत्य एवं अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है तथा अहिंसा उसे पाने का साधन।"

राहुल गांधी के खिलाफ यह केस उनकी कथित टिप्पणी "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है" पर भाजपा विधायक तथा गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हुआ था।

वाचनाड के लोकसभा सांसद

- 2019 में कर्नाटक चुनाव अभियान के दौरान, कोलार में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था, "ऐसा क्यों है कि, सभी चोरों का एक कॉमन "सरनेम" मोदी होता है।"
- भाजपा के विधायक, पूर्व में गुजरात के मंत्री रहे पूर्णेश मोदी ने राहुल की इस टिप्पणी के खिलाफ सूरत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।
- राहुल को 30 दिन का समय दिया गया है न्यायालय के आदेश में, ऊँचे कोर्ट में निर्णय के खिलाफ अपील करने के लिये।
- अगर, राहुल गांधी को वाकई में जेल हो गयी तो, उनकी संसद की सदस्यता निरस्त कर सकते हैं लोकसभाध्यक्ष।
- साथ ही राहुल पर आठ साल तक संसद का चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।
- आश्चर्य की बात है कि, केवल केजरीवाल, तेजस्वी यादव व डी.एम.के. नेता टी.आर. बालू ही राहुल की गिरफ्तारी के निर्णय के खिलाफ बोले। पर, कांग्रेस के महाराष्ट्र में गठबंधन के साथी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे तक ने भी रहस्यमय चुप्पी साधी।

(राहुल गांधी) ने यह टिप्पणी 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले कर्नाटक के कोलार नामक शहर में आयोजित एक रैली को संबोधित करते समय की

थी। विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत किसी क्रिमिनल मानहानि केस में दो साल की सजा दिया जाना जो राहुल

गांधी को दी गई है, बहुत बड़ा अजूबा है। गांधी के सम्मुख इस समय गिरफ्तार होने तथा लोकसभा की सदस्यता के (शेष पृष्ठ 7 पर)

क्या आपको कम सुनाई देता है।  
कान की मशीनें  
स्पीच थेरेपी  
फ्री सुनाई की जाँच  
CALL FOR APPOINTMENT  
+91 94602 07080  
PERFECT SPEECH AND HEARING SOLUTIONS  
Tonk Road, JAIPUR | Vaidhali Nagar, JAIPUR  
www.perfecthearingsolutions.com

## सूरत से लौट कर राहुल व सोनिया अभिषेक मनु सिंघवी से मिले

सिंघवी के घर हुई इस मुलाकात में मुकदमे के बारे में भावी रणनीति पर मंत्रणा हुई

-नेपु मित्रल-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। सूरत की एक जिला अदालत ने मानहानि के एक केस में राहुल गांधी को दो वर्ष की जेल की सजा सुनाई है। उन्होंने कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पूर्व एक भाषण में प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया था। तथापि कोर्ट ने उन्हें जमानत दी है और अपने फैसले के विरुद्ध अपील करने के लिए उन्हें 30 दिन का समय दिया है।

भाजपा ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने (डिस्क्वालिफाई करने) की मांग की है। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला के पास उन्हें डिस्क्वालिफाई करने की पावर है, लेकिन चर्चित प्रश्न यह है कि क्या स्पीकर इस विकल्प पर काम करेंगे।

प्रक्रिया यह है कि किसी सांसद

मंथन का निष्कर्ष है कि, अगर राहुल गांधी को हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली तो, राहुल गांधी को दो साल जेल में काटने पड़ेंगे।

कपिल सिब्बल ने इस बारे में कहा कि, अपने इस "कन्विक्शन" (दोषी करार होने) के बाद राहुल गांधी संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते। अतः उन्हें लोकसभाध्यक्ष से अपील करनी चाहिये कि, उन्हें संसद में उपस्थित होने की इजाजत दें। लोकसभाध्यक्ष को अधिकार प्राप्त है कि, वे राहुल गांधी को सदन में उपस्थित रह सकने की इजाजत दे सकते हैं।

को किसी प्रकार में दोष सिद्ध के बाद किसी सांसद को संबंधित सदस्य को सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहराए जाने की मांग करनी होती है। इसके बाद यह मामला विधि विभाग के पास जाता है और फिर स्पीकर की डेस्क पर पहुंचता है। स्पीकर के पास उस कथित सदस्य को डिस्क्वालिफाई करने की

पावर है। लेकिन कानूनी विशेषज्ञ कहते हैं कि इस केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को अपने निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए 30 दिन का समय दिया है। सूरत से आज शाम लौटने के बाद राहुल और सोनिया गांधी ने अभिषेक (शेष पृष्ठ 7 पर)

## आज हो सकता है संसद के बजट सत्र का समापन

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। संसद, जिसके बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू से ही नारेबाजी तथा हंगामे के कारण, मजबूरन रोजाना ही स्थगित होता रहा है, अब शुक्रवार को संसद का सत्रावसान होने की संभावना है, जबकि निर्धारित

कार्यक्रम के अनुसार बजट सत्र का दूसरा भाग 6 अप्रैल तक चलना था। सरकार ने बजट माँगों को बहसबंदी की औपचारिकता गुरुवार को पूरी कर ली तथा 2023-24 का बजट, बहस के बिना ही 10 मिनट में पारित कर दिया तथा यही कार्यवाही, सत्रावसान करने से (शेष पृष्ठ 7 पर)

क्रम. सं.	अखबार का नाम	राज्य	संस्करण का नाम	प्रमाणित प्रसार संख्या	भाषा	टिप्पणी अगर कोई है तो
1.	दैनिक भास्कर	राजस्थान	जयपुर	4,71,814	हिंदी	
2.	राजस्थान पत्रिका	राजस्थान	जयपुर	4,60,116	हिंदी	
3.	राष्ट्रदूत	राजस्थान	जयपुर	1,02,896	हिंदी	
4.	पंजाब केसरी	राजस्थान	जयपुर	66,949	हिंदी	
5.	द टाइम्स ऑफ इंडिया	राजस्थान	जयपुर	54,975	अंग्रेजी	
6.	द इकोनॉमिक टाइम्स	राजस्थान	जयपुर	6,663	अंग्रेजी	

## ए.बी.सी. ऑडिट प्रसार संख्या आंकड़े (जुलाई-सितम्बर 2022)

क्रम. सं.	अखबार का नाम	राज्य	संस्करण का नाम	प्रमाणित प्रसार संख्या	भाषा	टिप्पणी अगर कोई है तो
1.	दैनिक भास्कर	राजस्थान	जयपुर	4,71,814	हिंदी	
2.	राजस्थान पत्रिका	राजस्थान	जयपुर	4,60,116	हिंदी	
3.	राष्ट्रदूत	राजस्थान	जयपुर	1,02,896	हिंदी	
4.	पंजाब केसरी	राजस्थान	जयपुर	66,949	हिंदी	
5.	द टाइम्स ऑफ इंडिया	राजस्थान	जयपुर	54,975	अंग्रेजी	
6.	द इकोनॉमिक टाइम्स	राजस्थान	जयपुर	6,663	अंग्रेजी	

राष्ट्रदूत ने हमेशा किसी भी दबाव में आए बिना, निर्भीकता के साथ सत्य को प्रकाशित किया है। राष्ट्रदूत सन् 1950 से लेकर आज तक राजनीति, खेल कूद, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, व्यापारिक इत्यादि खबरों का पूर्ण सत्यता, सत्यापन के साथ सटीक विश्लेषण प्रकाशित कर रहा है।

इस उपलब्धि के लिये राष्ट्रदूत परिवार अपने सभी पाठकों, वितरकों, लेखकों, शुभचिंतकों, आलोचकों का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करता है। हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रदूत को इसी प्रकार आप सभी का सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मिलता रहेगा।

-प्रबंध संपादक

## भाजपा मुसलमानों के मन को छूने के लिये मोदी की "मन की बात" का उर्दू संस्करण छपवा रही है

मन की बात के दस "एपिसोड" छपवा कर रमजान के महीने के दौरान मुसलमानों के बुद्धिजीवियों व स्कॉलर्स में बांटने का इरादा है

-श्रीनंद झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों से पूर्व मुस्लिमों तक अपनी पहुंच बनाने की एक प्रकट राजनीति के तहत भाजपा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मासिक रेडियो संबोधन "मन की बात" के उर्दू अनुवाद की पुस्तकें उत्तर प्रदेश के इस्लामी विद्वानों और मदरसों में वितरित करेगी।

मुरादाबाद और रामपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मुस्लिम समुदाय के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाता हैं और यू.पी. की कुल आबादी में मुस्लिमों की संख्या 19.26 प्रतिशत है। अनुमान है कि मुस्लिम वोटर्स यू.पी. के कुल 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक चौथाई से अधिक पर चुनाव परिणामों को

- इस संकलन में प्रतिष्ठित मुस्लिम संगठनों, जैसे दारुल उलूम देवबंध व नदवातुल उलेमा के मुबारकबाद के संदेश भी होंगे।
- मुसलमानों से नजदीकी व मधुर रिश्ते बनाने के लिये यू.पी. में भाजपा स्नेह सम्मेलन आयोजित करेगी, सम्प्रदाय के लोगों के साथ, जहां थीम होगी: "एक देश, एक डी.एन.ए."।
- साथ ही भाजपा "पसमन्दा मुसलमानों" की प्रैस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है।
- पिछले चुनावों में यू.पी. में भाजपा ने हिन्दू वोटों को इतनी मजबूती से धुवीकृत कर लिया था कि, मुसलमान वोटों का महत्व काफी नगण्य हो गया था।
- पर, इस बार भाजपा ने मुस्लिम वोटों को लुभाने की रणनीति बनायी है। क्योंकि महसूस किया जा रहा है कि, पिछले चुनाव में मुस्लिम मतदाता ने जमकर सपा को वोट दिया था, हालांकि, ये वोट सपा को जिताने के लिये पर्याप्त नहीं हुए। इस बात से मुस्लिम वोट बैंक में निराशा है तथा भाजपा महसूस कर रही है कि, इस समय मुस्लिम वोट को अपनी ओर खींचा जा सकता है।

प्रभावित कर सकते हैं।

वर्ष 2014 के बाद अब तक हुए कई चुनावों में भाजपा बहुसंख्यक हिन्दू वोटों का अपने पक्ष में धुवीकरण करने में कामयाब रही है, जिससे मुस्लिम मतदाता कुल मिलाकर अप्रसंगिक हो गया है। वर्ष 2024 से पूर्व भाजपा नेतृत्व प्रकट रूप से अपनी रणनीति में बदलाव के बारे में सोच रहा है।

यह एक दोहरी रणनीति प्रतीत होती है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अतीक अहमद और आजम खान सहित मुस्लिम नेताओं के खिलाफ जहां बुलडोजर रणनीति अपनाई, वहीं भाजपा का केन्द्रीय नेतृत्व पसमंदा मुस्लिम के साथ संपर्क स्थापित करने को लेकर सम्मेलन आयोजित कर (शेष पृष्ठ 7 पर)

## 'सूरत कोर्ट का फैसला गलतियों का पुलिंदा'

-जाल खंबाता-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 23 मार्च। कांग्रेस प्रवक्ता एवं सोनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी को दो वर्ष की जेल की सजा के सूरत के

कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाने का, सूरत कोर्ट का फैसला उच्च स्तरीय न्यायालयों में नहीं टिक पाएगा।

कोर्ट के फैसले को गलतियों का पुलिंदा बताया है।

सिंघवी ने यहाँ तक प्रैस कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और हमें उम्मीद है कि इसमें स्टे लगाया जाएगा और अन्ततः यह (शेष पृष्ठ 7 पर)

सख्त मल (कब्ज) व पेट की परेशानियों का आयुर्वेदिक उपचार

जगवृषी

www.jagraviherbal.com